लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3773

उत्तर देने की तारीखः 17.03.2020

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की वित्तीय समस्याएं

3773. श्री असित कुमार मालः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि देश में अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लोग गंभीर वित्तीय संकटों से जूझ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दलित लोगों की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) : मंत्रालय के अधिदेश में अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) सहित समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को शामिल किया गया है। मंत्रालय/विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से अंतर्वेशी समाज का निर्माण करने का प्रयास करते हैं जिसके अंतर्गत एससी और ओबीसी सहित लक्षित वर्गों के सदस्यों को उनकी उन्नति और सतत विकास के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती है। विभाग अपने उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विधान, नीतियों और दिशा-निर्देशों को तैयार/अद्यतन करने के कार्य में लगा हुआ है।

एससी और ओबीसी की स्थिति में सुधार लाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम और स्कीमें निम्नानुसार हैं:

i. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) - अपनी तेरह ऋण आधारित स्कीमों और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से

ii. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) को सहायता

iii. अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी)
iv. अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी स्कीम (सीईजीएसएससी)
v. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)
vi. कक्षा IX और X में अध्ययनरत एससी छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना
vii. सफाई और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
viii. एससी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
ix. अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता
x. बालिकाओं और बालकों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
xi. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
xii. एससी छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति
xiii. एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग स्कीम
xiv. एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम
xv. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति
xvi. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
xvii. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
xviii. ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण
xix. ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता
xx. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु ब्याज सब्सिडी संबंधी डा. अम्बेडकर स्कीम
xxi. ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफ)
xxii. विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी) के विकास के लिए स्कीमें
xxiii. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए डा. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
xxiv. डीएनटी के लिए डा. अम्बेडकर मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
xxv. डीएनटी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करने संबंधी नानाजी देशमुख स्कीम
xxvi. पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-वीसी)
xxvii. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) - आवधिक ऋण, सूक्ष्म वित्त और कौशल विकास के माध्यम से, और
xxviii. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)

*****